02-18/10
5-57/10

-2013

न्यायालय जिला दण्डाधिकारी, पटना

—: आदेश :—

शस्त्र अनुज्ञप्ति वाद संख्या—09—760/2010 में आवेदक **श्री रविन्द्र कुमार**, पिता—स्व0 आनन्दी प्रसाद सिंह, सा0—दरवेशपुर, थाना—सकसोहरा, बाढ़, जिला—पटना से प्राप्त एक एन0पी0बोर रायफल शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन—पत्र पर वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से सत्यापन प्रतिवेदन प्राप्त करने की कार्रवाई की गई।

आवेदक को निबंधित डाक से सूचना दी गई थी, परन्तु आवेदक अनुपस्थित। आवेदक द्वारा समर्पित लिखित बयान से ज्ञात होता है कि सरकारी शिक्षक हैं तथा सभी श्रोतो से वार्षिक आय 1,62,000/— (एक लाख बासठ हजार) रूपये मात्र हैं। आवेदक द्वारा अपने जान—माल की सुरक्षा हेतु शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत करने का अनुरोध किया गया, परन्तु सुरक्षा भय के संबंध में कोई ठोस साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया।

वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से प्राप्त पत्रांक—192/गो0, दिनांक—28.02.2013 का अवलोकन किया गया। वरीय पुलिस अधीक्षक द्वारा अनुज्ञप्ति आवेदन पत्र संबंधित पदाधिकारियों से जाँचोपरान्त मूल में अग्रसारित कर आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजा गया। सहायक पुलिस अधीक्षक, बाढ़ द्वारा आवेदक के शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन को अग्रसारित किया गया। थानाध्यक्ष, सकसोहरा के प्रतिवेदन का अवलोकन किया गया। समर्पित प्रतिवेदन की कंडिका—10 अन्तर्गत आवेदक को कोई विशेष सुरक्षा भय होने की बात प्रतिवेदित नहीं की गयी है।

गृह मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संकल्प सं0—V-11016/16/2009, शस्त्र दिनांक—31.03.2010 की कंडिका—II में एन0पी0बोर शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत करने के संबंध में निदेश अंकित है, जो निम्नवत है :—

The arms licences for acquisition of NPB weapons are considered by the State Government/DM concerned. At present, there are no norms for grant of NPB weapons and some State Governments may be issuing arms licences liberally.

कंडिका—II की उप कंडिका—b तथा e निम्नवत है :—

b) No licence may be granted without police verification, which will include report on i) antecedents of the applicant, ii) assessment of the threat, iii) capability of the applicant to handle arms, and iv) any other information which the police authority might consider relevant for the grant or refusal of licence.

e) The licensing authority shall be obliged to take into account the report of police authorities called for under section 13 (2) before granting arms licenses and no arms licence may be issued without police verification.

वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से प्राप्त प्रतिवेदन, गृह मंत्रालय; भारत सरकार के पत्र संकल्प सं0—V-11016/ 16/2009, शस्त्र दिनांक—31.03.2010 में निहित निदेश एवं अभिलेख में संलग्न कागजातों के सूक्ष्मता पूर्वक अवलोकन के पश्चात अधोहस्ताक्षरी इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि आवेदक को सुरक्षा के बिन्दु पर कोई विशेष सुरक्षा भय/आशंका नहीं है तथा उन्हें एक एन0पी0बोर रायफल शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत किए जाने का कोई यथेष्ट कारण नहीं है।

-10-

02-18/10

5-57/10

शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 3, शस्त्र नियम 1962 में निहित शक्तियों, वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से प्राप्त प्रतिवेदन, तथा गृह मंत्रालय; भारत सरकार के पत्र संकल्प सं0–V-11016/16/2009, शस्त्र दिनांक–31.03.2010 में निहित निर्देश के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त आवेदक **श्री रविन्द्र कुमार,** पिता–स्व0 आनन्दी प्रसाद सिंह, सा0–दरवेशपुर, थाना–सकसोहरा, बाढ़, जिला–पटना के आवेदित एक एन0पी0बोर रायफल शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन–पत्र को **अस्वीकृत** किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

जिला दण्डाधिकारी,
पटना।

जिला दण्डाधिकारी,
पटना।